<u>जनपद बाराबंकी</u>

दिनांक-30.07.2022

मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)कोर्ट नं0-45 बाराबंकी ने एक अभियुक्त को 10 वर्ष व दो अभियुक्त को 7 व 3 वर्ष का कारावास तथा 75,000 रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित –

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी जिससे मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट)कोर्ट नं0-45 बाराबंकी द्वारा थाना सुबेहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 767/2011 धारा 363/366/376 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- मतीन पुत्र शमीम निव0 पूरे सातन थाना शिवरतगंज जिला छत्रपतिशाहू जी महाराज नगर 2- जावेद पुत्र जाबिर 3- ताहिरूल उर्फ तनहारूल निशां पत्नी जाबिर निवासी हवेली वार्ड कस्बा सुबेहा थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त मतीन को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 35,000/-रुपये जुर्माना, अभियुक्त जावेद को 7 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/-रुपये जुर्माना व अभियुक्ता ताहिरुल को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनांक 12.11.2011 को थाना सुबेहा निवासी वादी ने थाना सुबेहा पर अपनी पुत्री को विपक्षीगण द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया। उक्त के आधार पर थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0-767/2011धारा 363/366/376 भादवि बनाम अभियुक्तगण 1- मतीन पुत्र शमीम निव0 पूरे सातन थाना शिवरतगंज जिला छत्रपतिशाहू जी महाराजनगर 2- ताहिरूल उर्फ तनहारूल निशां पत्नी जाबिर 3- जावेद पुत्र जाबिर निवासीगण हवेली वार्ड कस्बा सुबेहा थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व आरोप-पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

<u>पुलिस टीम-</u>

1- निरीक्षक श्री राकेश प्रताप सिंह प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
2- उ0नि0 श्री रामनरेश मिश्रा मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
3- म0का0 प्रतिमा द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
4- का0 नीरज कनौजिया मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
5- का0 सन्दीप कुमार मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
6- का0 नौसाद, का0 संतोष कुमार पैरोकार सुबेहा जनपद बाराबंकी